केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/308 दिनांक: 30.08.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00305
CICOM/R/2016/00816

अपीलकर्ता : सुश्री रजनी देवी, द्वारा – श्री श्रीराम निवास प्रजापति,
मो0 – आदर्श नगर कालोनी, गली नं. 1,
रोजा जं., जिला – शाहजहॉपुर – 242001.
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख: 29.08.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	09.02.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	30.06.2016, 06.07.2016 01.08.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.सी.शर्मा, श्री ए.के. तलपात्रा, श्री के.एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	156982/21.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	434/25.07.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम में आयोग के आदेश सं. CIC/AD/C/2011/000114, CIC/WB/A/2010/000860-SM, CIC/AD/C/2011/001085, CIC/AD/C/2011/001088 तथा CIC/AD/C/2012/001354 के संदर्भ में संबंधित जन सूचना अधिकारियों द्वारा आयोग को प्राप्त कराई गई सूचनाओं की प्रतिलिपि की मांग की थी । उक्त आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2016 को आयोग में डायराइज हुआ, दिनांक 16.06.2016 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा दिनांक 21.06.2016 को आयोग के संबंधित जन सूचना अधिकारियों को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया तथा दिनांक 22.06.2016 को श्री वी.के.चन्डोक, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा आवेदन ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने की लिखित सूचना भी दी गई ।

2. प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने श्री वी.के. चन्डोक द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि जन सूचना अधिकारी ने ***"बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सूचना हेतु निवेदन लेने से इंकार किया है ।***

3. प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई दिनांक 29.08.2016 को अपराह्न 02.30 बजे विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई । सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में श्री अशोक प्रजापति तथा जन सूचना अधिकारी – श्री एस.पी. बेक, श्री ए. के. शर्मा, श्री के.एल.दास, श्री ए. के. तलपात्रा, एवं श्री एस.सी.शर्मा उपस्थित थे ।

4. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री वी.के.चन्डोक के जिस पत्र का उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा किया गया है, वह पत्र वस्तुत: केवल उनके आवेदन को ऑनलाइन ट्रांसफर क़िए जाने की सूचना मात्र है, उस पत्र के माध्यम से आवेदन से संबंधित कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है । अत: अपीलकर्ता का आरोप आधारहीन है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना हेतु निवेदन लेने के इंकार किया गया है, बल्कि जन सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता के आवेदन को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन मानकर ही आवेदन को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अन्य

जन सूचना अधिकारियों को दिनांक 21.06.2016 को ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया, चूंकि अपीलकर्ता का आवेदन जो कि दिनांक 16.06.2016 को आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ था, को दिनांक 21.06.2016 को ही ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया था, अतः अपीलकर्ता की यह आपत्ति की उनके आवेदन को निर्धारित समयावधि में ट्रांसफर नहीं किया गया आधारहीन ही है ।

5. सुनवाई के दौरान उपस्थित श्री के.एल.दास, जन सूचना अधिकारी ने बताया कि अपीलकर्ता को सूचित कर दिया गया है कि आयोग के उक्त पांचों आदेश रजिस्ट्री में उपलब्ध नहीं हैं । इन फाइलों की तालाश रिकार्ड रूम में की गई वहाँ से दो फाइलें CIC/WB/A/2010/000860 तथा CIC/AD/C/2012/001354 प्राप्त हुई । इन दोनों फाइलों के संदर्भ में श्री के.एल. दास ने बताया कि आयोग द्वारा आदेश जारी होने के बाद संबंधित जन सूचना अधिकारी या आवेदक से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । अन्य तीन फाइलों के संदर्भ में उन्होंने बताया कि ये फाइलें रिकार्ड रूम में भी उपलब्ध नहीं है, अतः इन तीन फाइलों से संबंधित कोई अन्य सूचना प्रदान नहीं की जा सकती । **श्री के.एल.दास, जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है उक्त तीनों फाइलों को ढूढने में श्री ए.के. गहलोत, संयुक्त सचिव (एम. एण्ड आर.) की सहायता लें तथा फाइल मिल जाने पर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।**

6. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

7. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री ए. के. गहलोत, संयुक्त सचिव (एम. एण्ड आर.), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री के.एल.दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त - बी.जे. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
4. श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त - ए.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
5. श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।